न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 10/2025 G.C.M.S. No. 2025/58 दर्ज दिनांक : 24.01.2025

अपीलार्थिगण:

1. जीवाराम पुत्र लखमा जाति रेबारी साकिन पूरण तहसील जसवंतपुरा, जिला जालोर।
2. करणाराम पुत्र लखमा जाति रेबारी साकिन पूरण तहसील जसवंतपुरा, जिला जालोर।
3. बसु पुत्री लखमा जाति रेबारी साकिन पूरण तहसील जसवंतपुरा, जिला जालोर।

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. बीजला पुत्र पुनमा जाति रेबारी साकिन पूरण तहसील जसवंतपुरा, जिला जालोर।
2. समु पत्नि पुनमा जाति रेबारी साकिन पूरण तहसील जसवंतपुरा, जिला जालोर।
3. सवा पुत्र पुनमा जाति रेबारी साकिन पूरण तहसील जसवंतपुरा, जिला जालोर।
4. हुनी पुत्री पुनमा जाति रेबारी साकिन पूरण तहसील जसवंतपुरा, जिला जालोर।
5. करनाराम पुत्र चमना जाति रेबारी साकिन पूरण तहसील जसवंतपुरा, जिला जालोर।
6. बगाराम पुत्र चमना जाति रेबारी साकिन पूरण तहसील जसवंतपुरा, जिला जालोर।
7. मलाराम पुत्र चमना जाति रेबारी साकिन पूरण तहसील जसवंतपुरा, जिला जालोर।
8. सालुराम पुत्र जाति रेबारी साकिन पूरण तहसील जसवंतपुरा, जिला जालोर।
9. शाखा प्रबंधक, शाखा राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक, मालवाड़ा।
10. भूमिधारी तहसीलदार जसवंतपुरा जिला जालोर।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध उपखंड अधिकारी जसवंतपुरा द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 09/2023 बअनवान बीजला बनाम करणाराम में पारित आदेश दिनांक 07.01.2025

पैरोकार–

1. श्री सतपाल पुरोहित, श्री तुलसी पुरोहित, श्री केसाराम चौधरी, विद्वान अभिभाषक अपीलांट।
2. श्री फरमान अली, श्री कमलेश कुमार, श्री सुरेश सोलंकी, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

निर्णय

दिनांक: 29.04.2026

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध उपखंड अधिकारी जसवंतपुरा द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 09/2023 बअनवान बीजला बनाम करणाराम में पारित आदेश दिनांक 07.01.2025 के विरूद्ध पेश की गई। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

यह कि हस्तगत प्रकरण में रेस्पोंडेंट संख्या 1 से 4 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251ए के तहत प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी आराजी में आवागमन हेतु रास्ता प्रदान कराने का अनुतोष चाहा, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को बिना सुने ही अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। जोकि विधिविरूद्ध है। अधिनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार जसवंतपुरा से मौका रिपोर्ट मुर्तिब की गयी हैं। जिसमें मौका रिपोर्ट पटवारी हलका पूरण, आर.आई. दांतलावास द्वारा तैयार की गयी हैं जो दिनांक–22.08.2023 को तैयार की गयी, जिसमें स्पष्ट वर्णित किया गया कि सरहद मौजा पूरण के खसरा नम्बर–675/1371 में वर्तमान में आवागमन करते हैं जो अनुतोष मांगा गया हैं उनके लिए रास्ता मौके पर मौजूद हैं व मौके पर रास्ता चल रहा हैं फिर भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिविरूद्ध आदेश पारित किया है। पटवारी व आर.आई. द्वारा जो मौका रिपोर्ट बनायी हैं उस पर भी किसी भी पक्षकार अपीलान्ट के हस्ताक्षर नहीं हैं। आर.आई व पटवारी ने जो मौका रिपोर्ट बनायी हैं। उस पर वर्तमान में रास्ता चल रहा है व दूसरी तरफ लिखते हैं कि प्रार्थीगण/रेस्पोंडेन्ट संख्या–1 लगायत 4 द्वारा चाहे गये रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं हैं। इन सभी तथ्यों को अनदेखा कर अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित किया है। विद्वान अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक–24.10.2024 को आदेश पारित करने में कानूनी व वाक्याती भूल की हैं क्योंकि दिनांक–24.10.2024 को अपीलान्ट्स के खिलाफ एक तरफा कार्यवाही की गयी जबकि उक्त प्रार्थना पत्र के बारे में अपीलान्ट्स को जानकारी भी नहीं थीं, क्योंकि किसी भी पक्षकार द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो उसमें सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 18 के तहत् अपने अपने कथन, साक्षय, शपथ पत्र प्रस्तुत करके मामला साबित करना पडता है। परन्तु उक्त प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय साक्ष्य अपीलान्ट्स की लेना उचित नहीं समझा, सीधे ही पत्रावली में निर्णय जारी कर दी गयी, जो सरासर गलत है। श्रीमान के समक्ष रेस्पोंडेन्ट संख्या–1 लगायत 4 ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। उक्त प्रार्थना पत्र के माध्यम से उन्होंने ने सम्पूर्ण प्रार्थना पत्र को ही परिवर्तित कर दिया जबकि आदेश 6 नियम 17 में स्पष्ट वर्णन किया गया है कि भूलवश हुई त्रुटि को ही सुधारा जा सकता हैं जबकि उनके द्वारा पूरे प्रार्थना पत्र को ही परिवर्तित कर दिया। रेस्पोंडेन्ट संख्या–1

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

लगायत 4 के खेत के निकटतम दूरी का रास्ता खसरा संख्या–682 के पश्चित दक्षिणी माठ से लगता हुआ खसरा संख्या–675/1371 में चलता हैं व 251ए में भी स्पष्ट प्रावधान है कि चलते हुए रास्ते के लिए उक्त धारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया जा सकता हैं। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की जानकारी अपीलान्ट्स को उस वक्त हुई जब रेस्पोंडेन्ट संख्या–1 लगायत 4 दिनांक–15.01.2024 पर मौके पर आये एवं फैसले की प्रति लेकर अपीलान्ट्स के खातेदारी खेत में प्रवेश कर नाप–चौक करने लगे व अपीलान्ट्स के खेत की सुरक्षा हेतु चारों तरफ बनी माठ को मजदूरों की सहायता से तोड़ने लगे व माठ पर व माठ के पास में खड़े दरखतों को काटने लगे तब अपीलान्ट्स ने उन्हें मना किया एवं पूछा कि आप हमारी खातेदारी खेत में नाप–चौक क्यों कर रहे हों व माठ एवं पेड़ों को खुर्द–बुर्द क्यों कर रहें हो तब रेस्पोडेन्ट संख्या–1 लगायत 4 ने निर्णय की प्रति दिखाई तब अपीलान्ट्स ने दिनांक 16.01.2025 को नकल हेतु आवेदन किया जिसमें निर्णय की प्रति दिनांक–17.01.2025 को प्राप्त हुई तब अपीलान्ट्स ने जालोर आकर वकील नियुक्त कर अपील तैयार करवाई जो अपील अन्दर म्याद प्रस्तुत की जा रही हैं। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील आदेश अपास्त फरमावें।

अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट्स व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया।

हमनें प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी व उस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थीगण रेस्पोंडेंट संख्या 1 से 4 द्वारा अपीलांट सहित अप्रार्थीगण के विरूद्ध नवीन रास्ते की मांग हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 07.01.2025 द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया। जिसके अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील अंदर म्याद प्रस्तुत की गई।
2. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण में अपीलांट संख्या 2 एवं 5 से 8 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुआ एवं अपीलांट संख्या 1 व 3 बावजूद सूचना व पर्याप्त अवसर के बावजूद अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया है। लिहाजा, इस संबंध में अपीलांट का उज्र स्वीकार योग्य नहीं हैं।
3. प्रार्थी द्वारा अपनी आराजी खसरा संख्या 675/1371 तक पहुंच के लिए रास्ते की मांग की गई हैं। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जांच प्रतिवेदन तलब किया गया। जो

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

भू.अ.नि. द्वारा दिनांक 22.08.2023 को तैयार किया गया। भू.अ.नि. इस प्रकरण में एक सक्षम अधिकारी हैं। भू.अ.नि. द्वारा खसरा संख्या 671 की उत्तरी सीमा के सहारे मौके पर चलायमान डामर सड़क से होकर खसरा संख्या 671 की पूर्वी सीमा के सहारे लाल स्याही से अंकित 30 मीटर लंबा व 4 मीटर चौड़ा रास्ता प्रस्तावित किया गया। जो आगे खसरा संख्या 1458/671 की पूर्वी सीमा के सहारे प्रस्तावित है तथा प्रार्थी की आराजी को जोड़ता है। भू–नक्शा व मौका रिपोर्ट के अवलोकन मात्र से स्पष्ट है कि प्रार्थी की आराजी 675/1371 तक पहुंच के लिए कोई पहुंच मार्ग उपलब्ध नहीं हैं। अर्थात रास्ते की मांग आत्यंतिक आवश्यकता पर आधारित है तथा प्रस्तावित विकल्प के अलावा अन्य कोई निकटतम दूरी का विकल्प उपलब्ध नहीं हैं एवं न ही अपीलांट ऐसा कोई अन्य विकल्प प्रस्तावित व साबित करने में सफल रहे हैं। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उक्त जांच प्रतिवेदन के प्रस्ताव अनुसार अपीलाधीन आदेश द्वारा रास्ता स्वीकृत किया गया है। जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि साबित या दृष्टिगोचर नहीं होती हैं एवं अपीलांट्स द्वारा लिए गए उजरात बखूबी साबित नहीं होने से स्वीकार योग्य नहीं हैं।

4. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र मत है कि अपील अपीलांट बखूबी साबित नहीं होने तथा अपीलाधीन आदेश पुष्टि योग्य होने से अपील अपीलांट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश की पुष्टि किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित नहीं होने व सारहीन होने से खारिज/अस्वीकार की जाती हैं तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखंड अधिकारी जसवंतपुरा द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 09/2023 बअनवान बीजला बनाम करणाराम में पारित आदेश दिनांक 07.01.2025 की पुष्टि की जाती हैं। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्रेषित किया जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 29.04.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुहर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ. मास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली